समय सीमा 05.12.2018

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1077 / 1256 / 2018 / ब–1 / चार भोपाल दिनांक 24 / 11 / 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्य प्रदेश

विषयः–द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2018–2019 का विधान सभा में उपस्थापन ।

–0–

प्रायः वित्तीय वर्ष में द्वितीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन दिसम्बर अथवा जनवरी माह में किया जाता है, परंतु वर्तमान में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रचलन में होने से नवीन सरकार के गठन उपरांत तत्समय निर्णय लिया जायेगा । विभागों की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता का आंकलन किये जाने के परिपेक्ष्य में द्वितीय अनुपूरक के प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे है ।

2/– वित्त विभाग के परिपत्र क्रमॉक–1062/815/11/ब–1/चार दिनांक 19/11/2018 द्वारा वर्ष 2018–19 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान की तैयार का अनंतिम बजट कार्यक्रम जारी किया गया है । उक्त परिपत्र की कंडिका 6 से 9 एवं कंडिका 12 तथा परिशिष्ट–2 में दिये गये निर्देशों का विशिष्ट रूप से पालन करते हुए द्वितीय अनुपूरक के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जाये ।

3/– वर्ष 2018–2019 का द्वितीय अनुपूरक अनुमान में निम्न स्वरूप की मदें ही सम्मिलित की जावेगी :–

(1) जिनके लिये राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो ।
(2) जिनके लिये वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हो ।
(3) जिनके लिये भारत सरकार/अन्य एजेन्सी से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है तथा जो विद्यमान मदों से विमुक्त न की जा सकती हो तथा जिस हेतु अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग अन्य प्रचलित योजनाओं में उपलब्ध राशि में से कटौती कर बचत की राशि से करेंगे ।

4/–. कोई भी ऐसे नवीन मदों के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किये जा सकेगें जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो । वाहन क्रय के कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किये जावेंगे ।

5/– वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया प्रचलन में है, इसलिए नवीन योजनाओं के प्रस्ताव यदि द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित करना आवश्यक हो, तो नई सरकार के गठन उपरांत प्रशासकीय अनुमोदन के साथ प्रेषित किये जाये ।

6/– अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका की 6 प्रतियां (हिन्दी में) संलग्न निर्धारित दो प्रपत्रों में वित्त विभाग को दिनांक **05–12–2018** तक निश्चित रूप से भेजने का कष्ट करें । कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि निर्धारित प्रपत्र के सभी स्थानों की आवश्यक पूर्ति कर दी गई है। योजनाओं के अंतर्गत व्यय हेतु सेगमेंट एवं विकास शीर्ष अवश्य ही लिखे जायें । कृपया लेखा शीर्ष का पूर्ण विवरण का सही परीक्षण कर लें।

7/– जिन मुद्दों के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी है, उनकी संक्षेपिका, केन्द्रीय सहायता की राशि, जो राज्य को ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, विशेष तौर से संलग्न की जाये । इसी प्रकार यदि कोई व्यय, जिसके लिये राशि मांगी जा रही है, उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है, तो उसके संबंध में अनुदान संख्या एवं शीर्ष सहित कृपया पूर्ण विवरण दिया जाये ।

संलग्न :– दो प्रपत्र

24/11/18

(तेजस्वी एस. नायक)
संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2018–2019 में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावों का प्रारूप (कृपया दिये गये प्रारूप में कोड,नाम आवश्यक रूप से भरें,) (तथा एक पत्रक पर एक ही योजना भरें)(यदि एक ही योजना (स्कीम) अलग–अलग लेखा शीर्ष पर हो तो, तो भी उनके लिये अलग–अलग पत्रक का उपयोग करें, अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगें । पत्रक भरने संबंधित संलग्न नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़े ।)

1. बजट शाखा तथा सहायक कोडः ————————————————
2. विभाग (कोड तथा नाम) ————————————————
3. बजट प्रस्तावक अधिकारी (कोड तथा नाम) ————————————————
4. मांग संख्या ————————————————
5. मुख्य शीर्ष ————————————————
6. उप मुख्य शीर्ष ————————————————
7. लघु शीर्ष ————————————————
8. मतदेय/भारित ————————————————
9. योजना (स्कीम) का नाम–(अधिकतम 20 शब्दों में) ————————————————
9.1 योजना (स्कीम) का कोड
9.2 सेगमेंट (कोड तथा नाम) ————————————————

कोड अवश्यक भरें) विकास शीर्ष (कोड तथा नाम) ————————————————

10 योजना (स्कीम) का प्रकार– (जो लागू न हो उसे काट दें) नवीन/निरंतर/नवीन तथा निरंतर

11. फण्ड के स्त्रोतः–

	प्रतिशत	राशि
राज्यांश		
केन्द्रांश		
अन्य		

प्रयोजन हेतु व्यय की मदें (राशि रूपयों में)

उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	विवरण	वित्तीय वर्ष में अबतक कुल प्रावधान (बजट अनुमान +अनुपूरक +पुनर्विनियोजन)	माह...........................तक कुल व्यय	अतिरिक्त आवश्यक राशि	स्वीकृत (वित्त विभाग के उपयोग हेतु)
		योग				

12. आकस्मिकता निधि से लिया गया अग्रिम ————————————————
13. बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त सहायता/ऋण
(स्त्रोत (केन्द्र/नाबार्ड/एल.आई.सी./विदेशी सहायता/अन्य) ————————————————
(कृपया नाम लिखें) ————————————————
14. यदि बचत द्वारा हो तो कृपया पूर्ण विवरण निम्नानुसार दें. ————————————————
14.1 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत की मांग संख्या ————————————————
14.2 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत का मुख्य शीर्ष ————————————————
14.3 सेगमेंट (कोड तथा नाम) ————————————————
14.4 मतदेय/भारित ————————————————
14.5 बचत की राशि ————————————————
14.6 बजट द्वारा उपलब्ध आवंटन ————————————————

(संक्षेपिका का विवरण अधिकतम 200 शब्दों में कम्प्यूटर पत्रक के साथ ही संलग्न करें)

बजट नियंत्रण अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासकीय विभाग)

द्वितीय अनुपूरक अनुमान के प्रस्ताव

शाखा—

स.क्र.	विभाग का नाम	वित्त विभाग का फाईल कमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष सहित योजना (स्कीम)का नाम पूर्ण विवरण	सेंगमेंट कोड़ तथा नाम	उदेश्य शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष जिसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमानों में बजट प्रावधान चाहा गया है, के संबंध में जानकारी											सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदित है या नहीं (हॉ/नहीं)	क्या योजना की निरंतरता प्राप्त है (हॉ/नहीं)	क्या नवीन मद है (हॉ/नहीं)	अमान्य किये जाने का कारण
					क.	उदेश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	17–18 का कुल बजट प्रावधान	17–18 का कुल व्यय	18–19 का बजट प्रावधान	18–19 द्वितीय त्रैमास के लिए बजट प्रावधान	18–19 का कुल अद्यतन व्यय 31.10.18 तक	18–19 में व्यय का प्रतिशत	विभाग द्वारा मांगी गई राशि	मान्य योग्य राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (13/11 या 12'100)	15 (हजार मे)	16 (हजार मे)	17	18	19	20
1																			
2																			
3																			

नोट : वर्ष 2018–19 के द्वितीय त्रैमास में आवंटित राशि के विरूद्व व्यय की जानकारी भी दी जाए।
कार्यालय उपकरण एवं वाहन के मदों में सचिव स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

माननीय मंत्रीजी | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव | सचिव | अपर सचिव/उप सचिव | अवर सचिव